

प्रारूप - 2

भाग-I

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना का विवरण	
1 क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, मार्ग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1414/पी0-14 /यू0आर0आर0डी0ए0/14 दिनांक 07.08.2014 के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	1:50000 का मानचित्र संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	संलग्न अन्य समरेखण से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण(संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	क्षेत्र में अस्थाई रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र में उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगा, तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा।
2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	1- राज्य वनभूमि 4.4910 हे० 2- वनपंचायत भूमि 0.1700 हे० कुल वनभूमि 4.6610 हे०
3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	लागू नहीं।
क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं (शून्य)
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं (शून्य)
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं (शून्य)
4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हां/नहीं)	नहीं
5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम संलग्न है। एवं पुनः वनीकरण की वचनवद्धता संलग्न है।
6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का व्यौरा।	निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
दिनांक.....	प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
स्थान.....	नाम
	मोहर

Executive Engineer
Rural Works Department
P.M.G.S.Y. District

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग

अधीशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग